भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-467

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अनियमित विद्युत आपूर्ति

***467. श्री जनार्दन मिश्रः**

श्री रोड़मल नागरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्षा ऋतु आरंभ होने से पूर्व विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अनुरक्षण कार्य किए जाने के उपरांत भी अनियमित विद्युत आपूर्ति को ठीक करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी अनियमित विद्युत आपूर्ति को ठीक करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विद्युत की अनियमित आपूर्ति के लिये ऐसी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अनियमित विद्युत आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 467 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (घ) : अवसंरचना के अनुरक्षण सहित, विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटियों और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार ने, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57(1) और 57(2) के अनुसार, किसी लाइसेंसी अथवा लाइसेंसियों के वर्ग के निष्पादन के मानक (एसओपी) का पालन नहीं करने की स्थिति में उपयुक्त मुआवजे के प्रावधानों के साथ विनिर्दिष्ट करने के लिए एसईआरसी को शक्तियां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 86 (1)(i) के अनुसार, एसईआरसी लाइसेंसियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विश्वसनीयता के संबंध में मानक विनिर्दिष्ट अथवा लागू करेंगे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में तकनीशियनों को पारेषण एवं वितरण लाइनों के मानसून पूर्व अनुरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिलाने के उपायों की भी व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग, आईटी युक्त बनाने, फीडरों के पृथक्करण आदि के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता करती रही है, ताकि सभी के लिए 24x7 विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति की जा सके।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5260

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाना

5260. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में किन-किन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 'उज्ज्वल डिसकॉम आश्वासन योजना' (उदय) चल रही है और चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात सहित उक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी निधि का वितरण किया गया है;

(ख) क्या 'उदय' योजना के फलस्वरूप विद्युत वितरण कंपनियों के सकल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे (एटीएंडसी) में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष में प्रशुल्क दर को संशोधित करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में कार्यान्वित की जा रही है। उदय के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) : उदय पोर्टल पर राज्यों द्वारा डाले गए आंकड़ों के अनुसार, समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20.80% से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 18.24% हो गई हैं। ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) : टैरिफ का निर्धारण संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा किया जाता है। उदय टैरिफ के संबंध में टैरिफ नीति में आवश्यक बदलाव का प्रावधान करती है। जनवरी, 2016 में अधिसूचित टैरिफ नीति में प्रावधान है कि विद्युत आपूर्ति की लागत को टैरिफ द्वारा प्रगामी रूप से प्रदर्शित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त आयोग रोडमैप इस प्रकार अधिसूचित करेगा कि क्रॉससब्सिडी की क्रमिक कमी के साथ टैरिफ, आपूर्ति की औसत लागत के $\pm$20% के भीतर हो।

(घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र (मुम्बई-बेस्ट), मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तराखण्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में टैरिफ में संशोधन किया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5260 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उदय के अंतर्गत एटीएंडसी हानियों की उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	**मानदंड**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**
1.	आंध्र प्रदेश	9.41	13.41
2.	असम	25.51	21.14
3.	बिहार	43.74	27.39
4.	छत्तीसगढ़	21.79	23.28
5.	दमन और दीव	13.25	9.37
6.	गोवा	17.12	26.03
7.	गुजरात	15.04	12.59
8.	हरियाणा	29.83	17.45
9.	हिमाचल प्रदेश	12.92	8
10.	जम्मू और कश्मीर	61.6	49.76
11.	झारखंड	34.71	31.95
12.	कर्नाटक	14.94	14.1
13.	केरल	16.03	10.83
14.	मध्य प्रदेश	23.97	31.9
15.	महाराष्ट्र	19.07	16.94
16.	मणिपुर	44.21	22.55
17.	मेघालय	36.48	37.76
18.	पुदुचेरी	19.88	16.41
19.	पंजाब	15.9	12.04
20.	राजस्थान	30.41	21.29
21.	तमिलनाडु	14.58	14.02
22.	तेलंगाना	13.95	11.77
23.	त्रिपुरा	20.94	15.24
24.	उत्तर प्रदेश	26.47	24.64
25.	उत्तराखंड	17.19	12.64
	उदय राज्यों का औसत	**20.8**	**18.24**

नोट : उपरोक्त आंकड़े उदय पोर्टल पर राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रविष्ट किए गए अनंतिम/गैर-लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5272

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड लिंकेज

5272. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को बाकि देश भर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड लिंकेज की क्या स्थिति है; और

(ख) ग्रिड संपर्क का पूरा कार्य राज्य स्तर की अन्य सक्षम कंपनी यथा असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की जगह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारतीय विद्युत प्रणाली पांच (5) क्षेत्रों अर्थात उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विभाजित है। क्षेत्रों के बीच अंतरक्षेत्रीय (आईआर) पारेषण लिंक अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से कम विद्युत वाले क्षेत्रों को विद्युत के व्यवस्थित प्रवाह को सक्षम बनाता है। वर्तमान में सभी पांचों क्षेत्रीय ग्रिड़ एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वैंसी-एक बाजार बनाकर सिंक्रोनस लिंकों के जरिये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रिड की अन्तर क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता 99,050 मेगावाट (मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार) है। पूर्वोत्तर क्षेत्र निम्नानुसार विभिन्न पारेषण लिंकों के जरिये देश से जुड़ा हुआ हैः

(i) ± 800 केवी विश्वनाथ चरियाली-अलीपुरद्वार-आगरा मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी बाइपोल लाइन
(ii) 400 केवी अलीपुरद्वार-बोंगाईगांव हाई कैपेसिटी डी/सी लाइन
(iii) 400 केवी सिलीगुडी-बोंगाईगांव डी/सी लाइन
(iv) 220 केवी बीरपाड़ा-सलाकती डी/सी लाइन

(ख) : देश में मौजूद पारेषण प्रणाली में अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (इंटरा-एसटीएस) शामिल हैं।

जनवरी, 2011 से, आईएसटीएस पारेषण योजनाएं टैरिफ नीति के उपबंधों के अनुसार या तो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिये अथवा विनियमित टैरिफ अन्तर (आरटीएल) के साथ लागत-अधिक्य तंत्र के जरिये कार्यान्वित की जा रही हैं। तद्नुसार, आईएसटीएस पावर ग्रिड़ द्वारा अथवा टीबीसीबी परियोजनाओं के मामले में सफल बोलीदाता द्वारा विकसित की जाती हैं। पावरग्रिड टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए बोलीदाता के रूप में भागीदारी करती है।

किसी राज्य में अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली सामान्यतः राज्य पारेषण यूटिलिटियों/अन्तर्राज्यीय पारेषण लाईसेंसियों द्वारा विकसित की जाती है जैसे असम राज्य के लिए अन्तर्राज्यीय प्रणाली के संबंध में असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5287

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

चल रही विद्युत परियोजनाएं

5287. श्री ए. राजाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु सहित देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित देश भर में इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आरंभ में तय की गई लागत का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या कुछ परियोजनाओं की लागत/समय में भारी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा भविष्य में इन परियोजनाओं को लागत में वृद्धि हुए बिना समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (च) : तमिलनाडु सहित देश में इस समय 12034.5 मेगावाट की कुल क्षमता की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) तथा 63676.15 मेगावाट की कुल क्षमता की 67 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। चालू करने की मूल/प्रत्याशित अनुसूचियों के साथ-साथ निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में समय और लागत बढ़ने के कारणों सहित विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मूल/स्वीकृत लागत तथा हुए व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कोई उत्पादक कंपनी यदि ग्रिड कनेक्टिविटी से जुड़े तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है तो वह इस अधिनियम के तहत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित, परिचालित और अनुरक्षित कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, मूल लागत तथा चालू करने की अनुसूची के साथ-साथ संशोधित प्रत्याशित लागत तथा पूर्णता अनुसूची का ब्यौरा और विलंब के कारण **अनुबंध-II** में दिये गये हैं।

इन विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदम नीचे दिए गए हैं:-

(i) विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) लगातार स्थल दौरों तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के जरिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रक्रिया की निगरानी करता है। सीईए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है तथा परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे अभिचिह्नित करता है और उनका समाधान करने में उनकी सहायता करता है।

(ii) बाधा वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा अंतर मंत्रालय और अन्य बकाया मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की सुविधा के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा भी नियमित समीक्षा की जाती है।

(iii) केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) परियोजनाओं के मामले में परियोजना कार्यान्वयन प्राचलों/लक्ष्यों को संबंधित सीपीएसयू एवं विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में शामिल किया जाता है तथा विद्युत मंत्रालय/सीईए में सीपीएसयू की तिमाही निष्पादित समीक्षा बैठकों तथा अन्य बैठकों में भी उनकी निगरानी की जाती है।

(iv) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों का समाधान करने में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता करने के लिए मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जाता है।

(v) जब कि आवश्यक हो, मुद्दों की अग्रसक्रिय शासन तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए पीएमओ के प्रगति पोर्टल में भी समीक्षा की जाती है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5287 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समय/लागत आधिक्य सहित लागत एवं व्यय को शामिल करते हुए निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना और राज्य का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुसूची		लागत (करोड़ रुपए)		व्यय (करोड़ रुपए)		समय एवं लागत आधिक्य के कारण
			वास्तविक	अनुमानित	स्वीकृत	अनुमानित	पिछले 3 वर्ष (2016-19)	2019-20 के दौरान (माह)	
केंद्रीय									
1	पकलदुल (सीवीपीपीएल) जेएंडके	1000	अप्रैल-20	अग.-23	8112.12	8112.12	1086.32		• कार्यों के अवार्ड में विलंब।
2	पारबती-II (एनएचपीसी) एच.पी.	800	सितं.-09	दिसं.-21	3919.59	8398.76	1687.45	42.11 (अप्रैल-19)	• माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। • संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। • नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और गाद के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। • अप्रैल, 2004, जून, 2006 और फरवरी, 2007 में पावर हाउस क्षेत्र में स्लाइड। • 2004, 2005, 2010 और 2011 में अचानक बाढ़। • केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित हुआ। • संविदा संबंधी मामले। • एचआरटी में खराब भृविज्ञान। • सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला।
3	टिहरी पीएसपी (टीएचडीसी), उत्तराखंड	1000	जुलाई-10	जून-22	1657.6	4401.9	1085.77	77.52 (अप्रैल-19)	• एल-1 कीमत बोली के रूप में आरसीई का अनुमोदन लागत अनुमानों से अधिक था। आरसीई नवंबर, 2011 में अनुमोदित किया गया। • संविदाकार के पास नकद प्रवाह की समस्या। • बोलीदाताओं द्वारा मुकदमेबाजी। • खराब भूविज्ञान। • असेना क्वारी में स्थानीय विरोध। • मक डिस्पोजल क्षेत्र में विरोध। • ठेकेदार की खराब तैयारी। • खराब भौगोलिक स्थिति के कारण मशीन हॉल के ले आउट का संशोधन। • संविदाकार के पास धन अभाव के कारण अप्रैल, 2018 से निर्माण कार्य रोक दिया

									गया।
4	तपोवन विष्णगाड (एनटीपीसी), उत्तराखंड	520	मई-13	दिसं.-20	2978.48	3846.3	1150.2		• एचआरटी में खराब भूविज्ञान और टीबीएम पर पत्थर गिरने के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश। टीबीएम तीन बार शुरू किया गया। • जून, 2013 और अगस्त, 2012 में अचानक बाढ़ के कारण कॉफर डैम का क्षतिग्रस्त होना। • बैराज और एचआरटी के लिए सिविल संविदाओं की समाप्ति। • सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला।
5	लता तपोवन (एनटीपीसी) उत्तराखंड	171	अग.-17	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (4 वर्ष)	1527	1801.07	6.16		• उत्तराखण्ड में जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़। • बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना। • माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 से निर्माण कार्य पर रोक लगाई।
6	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी) उत्तराखंड	444	जून-13	दिसं.-22	2491.58	3789.61	780.32	35.78 (अप्रैल-19)	• सीसीईए अनुमोदन अगस्त, 2008 में प्राप्त परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवार्ड नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 2014 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी, 2014 में कार्य अवार्ड किया गया। • स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा। • संविदाकार के पास नकद प्रवाह समस्या।
7	रम्माम-III (एनटीपीसी) पश्चिम बंगाल	120	सितं.-19	फर.-22	1381.84	1592.34	255.14		• एडिट-1 से एडिट-2 तक संपर्क सड़क के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से पेड़ों को काटने के लिए अनुमति प्राप्त होने में विलंब। • सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला। • गोरखालैंड आंदोलन के दौरान हड़ताल/बंद।
8	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी) अरुणाचल प्रदेश/असम	2000	सितं.-10	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (4 वर्ष)	6285	18064	2355.53	60.3 (अप्रैल-19)	• वन भूमि के अंतरण में विलंब। • अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। • जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। • रंगानदी नदी पर पुल क्षति। • सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। • परियोजना के निर्माण के विरोध में असम में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रूक गया। • डी/एस प्रभाव का मामला। • एनजीटी में मामला।
9	कामेंग (नीपको) अरुणाचल प्रदेश	600	दिसं.-09	दिसं.-19	2496.9	6179.96	2473.54	82.75 (अप्रैल-19)	• बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। • खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। • अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। • एचआरटी में जल का प्रवेश। • खराब पहुंच सड़क। • संविदात्मक मामले। • समूह की कमी। • राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति। • कार्यों की धीमी प्रगति।

									• पेनस्टॉक में रिसाव एवं खराबी में सुधार। • सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला।
10	नैटवर मोरी (एसजेवीएन) उत्तराखंड	60	2021-22	2021-22	648.33	648.33	98.31		
11	तीस्ता स्टे.-VI (एनएचपीसी) सिक्किम	500	मार्च-24	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (5 वर्ष)	5748.04	5748.04	907		• खराब भौगोलिक स्थिति। • भूमि अधिग्रहण। • संविदा संबंधी मामले। • विकासकर्ता (निजी) के साथ निधि संबंधी बाधाएं और अप्रैल, 2014 से काम बंद। • मैसर्स एलटीएचपीएल कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत आया। एनएचपीसी लिमिटेड एच-1 बोलीकर्ता के रूप में उभरकर आया। एनएचपीसी को सीसीईए का अनुमोदन 08.03.2019 को प्राप्त हुआ।
राज्य									
12	परनई जेएंडके	37.5	जन.-18	मार्च-22	640	640	189.62	3.11 (मई-19)	• कार्य की धीमी प्रगति। • भूमि अधिग्रहण में विलंब।
13	लोअर कलनई जेएंडके	48	सितं.-17	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (4 वर्ष)	577	576.87	36.31		• संविदाकार द्वारा मानव एवं मशीनरी का अपर्याप्त जुटाव। • आरएण्डआर योजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब। • कार्यों की धीमी प्रगति। • संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाईयां। सीडीआर के अंतर्गत संविदाकार।
14	उहल-III एच.पी.	100	मार्च-07	जन.-20	431.56	1281.52	343.49		• वन भूमि के अंतरण में विलंब। • निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब। • खदान स्थलों के अंतरण में विलंब। • कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। • संविदाकर्ता द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण अप्रैल, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए दो बार संविदा रद्द की गई। • एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।
15	सवारा कुड्डू एच.पी.	111	दिसं.-12	मार्च-20	558.53	1181.9	293.35		• एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। • सिविल एवं ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। • एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। • एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति। • संविदा संबंधी मामले। • एचआरटी पैकेज के लिए कांट्रैक्ट 09.01.2014 को समाप्त कर दिया गया। मैसर्स एचसीसी को नवंबर, 2014 में कार्य पुन: अवार्ड किया गया।
16	शोंगटोंग करचम एच.पी.	450	मार्च-17	अप्रैल-24	2807.83	3316.35	304.34		• आर्मी एम्यूनिशन डिपो का स्थानांतरण। • स्थानीय मामले।
17	व्यासी उत्तराखंड	120	दिसं.-14	जून-20	936.23	936.23	641.8		• कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। • स्थानीय मामले।
18	शाहपुरकंडी पंजाब	206	2015-16	नवं.-21	2286	2715.7	662		• रावी नदी के जल बंटवारे एवं प्रशुल्क पर जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब राज्यों के

									बीच अंतरराज्यीय विवाद के कारण 29.08.2014 से बांध का कार्य रूक गया।
19	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस महाराष्ट्र	80	अक्तू.-14	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (4 वर्ष)	245.02	691.95 विद्युत घटक	145.97		• कार्यों की धीमी प्रगति। • परियोजना लागत में वृद्धि के कारण वित्तीय कठिनाईयां। आरसीई अनुमोदनाधीन।
20	इंदिरासागर पोलावरम (पीपीए) आंध्र प्रदेश	960	-	-	3013.68	5338.95	758.18		
21	पल्लीवसल (केएसईबी) केरल	60	मार्च-11	दिसं.-21	283.19	550	83.84		• सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। • भूमि अधिग्रहण में विलंब। • एचआरटी के लिए एडिट के संरेखण में परिवर्तन। • एचआरटी में खराब भौगोलिक स्ट्राटा। • भारी मानसून • संविदात्मक मामलों के कारण 28.01.2015 से 11.04.2017 तक संविदाकार कार्य रोक दिया गया। • संविदा 13.09.2018 को समाप्त हो गई। मामला केरल उच्च न्यायालय में है।
22	थोटियार (केएसईबी) केरल	40	अप्रैल-12	दिसं.-20	145.47	280	10.74		• भूमि अधिग्रहण मुद्दे। • स्थानीय लोगों द्वारा 2010 से 2012 तक वायर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। • न्यायालय द्वारा 12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया। • संविदागत मामले। • संविदाकार के पास वित्तीय कठिनाई। • अप्रैल, 2017 में पूर्ववर्ती संविदा का समापन और शेष कार्य जनवरी, 2018 में पुन: अवार्ड।
23	कुंडहा पम्प्ड स्टोरेज-I तमिलनाडु	125	2021-22	2022-23	488	989.8	221.52	22.23 (मई-19)	• सिविल एवं एचएम कार्यों के अवार्ड में विलंब। • सिविल एवं एचएम कार्यों को 05/2018 से ही शुरू किया गया है।
निजी									
24	रत्ले जेएंडके	850	2017-18	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (5 वर्ष)	5517.02	6275	0		• कार्यों की धीमी प्रगति। • बार-बार स्थानीय बाधाओं के कारण 11.07.2014 से कार्य रूका। • विकासकर्ता राज्य सरकार को परियोजना अभ्यर्पित करना चाहता है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार, पीडीडी द्वारा 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया गया और जेकेएसपीडीसी को परियोजना का अधिग्रहण करने का निदेश दिया गया। • जीवीकेआरएचईपीपीएल तथा जेकेपीडीडी नामक पक्षकारों ने अपने संबंधित दावों पर विरोध दर्ज किया तथा अब यह मामला न्यायाधीन है। • परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जेकेएसपीडीसी एवं एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम गठित किया गया।
25	सोरांग एच.पी.	100	नवं.-11	मार्च-20	586	586	0		• खराब भौगोलिक स्थिति। • खराब मौसम स्थितियां, दुर्गम एवं खराब पहुँच।

									• नवंबर, 2013 में वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पेनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज। • ट्रायल रन के दौरान नवंबर, 2015 में सर्फेस पेनस्टॉक में दरार। • विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।
26	टिडोंग-I एच.पी.	100	अक्तू.-21	अक्तू.-21		940	163.74	36.56	• परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। • सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को स्थगित करना। • विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।
27	टंगनु रोमई-I एच.पी.	44	जून-14	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (4 वर्ष)	255	641.89	0		• सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। • खराब भौगोलिक परिस्थिति। • कठिन क्षेत्र। • जलवायु परिस्थितियां एवं पहुंच। • विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां
28	बजोली होली एच.पी.	180	मई-18	मार्च-20	1696.93	2205	704	94 (मई-19)	• कार्यों की धीमी प्रगति।
29	फाटा ब्यूंग उत्तराखंड	76	जून-12	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (3 वर्ष)	520	1225.53	78.86		• जून, 2013 में अचानक बाढ़। • एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।
30	सिंगोली भटवारी उत्तराखंड	99	दिसं.-12	मार्च-20	666.47	1694	892.47		• एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। • स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। • जून, 2013 में अचानक बाढ़।
31	महेश्वर एम.पी.	400	मार्च-02	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (1.5 वर्ष)	1569.27	8121	0		• आरएंडआर मुद्दे। • विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह की समस्या। • अग्रणी ऋणदाता के रूप में पीएफसी ने 01 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में अधिक इक्विटी अर्थात 51% का अधिग्रहण किया। मामला न्यायाधीन है।
32	रंगित-IV सिक्किम	120	जन.-12	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (3.5 वर्ष)	726.16	1692.6	1.68		• खराब भौगोलिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। • सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए। • विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
33	भास्मे सिक्किम	51	जून-12	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (3 वर्ष)	408.5	746.01	0		• वन स्वीकृति। • विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
34	रंगित II सिक्किम	66	अप्रैल-15	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (2.5 वर्ष)	496.44	496.44	126.83		• कार्यों की धीमी प्रगति। • विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।
35	रोंगनीचू सिक्किम	96	जुलाई-14	सितं.-20	491.32	1187	821		• भूमि अधिग्रहण। • खराब भूविज्ञान।
36	पनन सिक्किम	300	2018-19	कार्यों के पुनः शुरू होने के अधीन (4.5 वर्ष)	1833.05	2516	17.7		• दिसंबर, 2015 में एनडब्ल्यूएलबी से स्वीकृति प्राप्त हुई। • एनजीटी से स्वीकृति। प्राप्त। • एनडब्ल्यूएलबी एंगल में सिक्किम सरकार से एनओसी के लिए आवेदन किया गया।

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5287 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम/ईपीसी और बीटीजी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	मूल लागत (करोड़ रुपये में)	नवीनतम लागत (करोड़ रुपए में)	विलंब के कारण
केंद्रीय क्षेत्र									
1	*बिहार*	बाढ़ एसटीपीपी-I/एनटीपीसी/अन्य	यू-1	660	मई-17	अप्रैल-20	8693	15095.67	पावर मशीन और टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के संविदात्मक विवाद के कारण विलंब। मूल अनुसूची 2009-10 एवं 2010-11 थी। वित्तीय दिक्कतों के कारण मैसर्स टीपीई द्वारा बायलर सामग्री एवं खरीदी जाने वाली मदों (बीओआई) की आपूर्ति में विलंब। मैसर्स टीपीई ने 10/13 को कार्य बंद कर दिया। एनटीपीसी द्वारा 14.01.2015 को मैसर्स टीपीई का करार समाप्त कर दिया। मैसर्स पावर मशीन द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और मंद प्रगति, सुपर हीटर और रीहीट एरिया में ट्यूब की विफलता, रेलवे लाइन (हजारीबाग-कोडरमा-तिलैया-राजगीर-बख्तियारपुर (250 किमी)) की तैयारी।
			यू-2	660	नवं.-17	अप्रैल-21			
			यू-3	660	मई-18	मई-22			
2	*बिहार*	नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे/भेल का संयुक्त उद्यम	यू-4	250	नवं.-13	अप्रैल-20	5352.51	7998	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी मैसर्स ईआरए द्वारा धीमी गति से कार्य जिससे निर्माण एजेंसियों को सिविल फ्रंट सौंपने में विलंब हुआ। भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति। गांववासियों द्वारा आन्दोलन। लोगों द्वारा मुआवजे को ग्रहण करने की अनिच्छा के कारण भूमि के कुछ टुकड़ो का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। सीएचपी वेंडर (टैक्प्रो) द्वारा झेली जा रही वित्तीय कठिनाई।
3	*बिहार*	न्यू नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल टीजी-एल्सटॉम और भारत फोर्ज, एसजी-भेल का संयुक्त उद्यम					13624.02	15131.67	शेष भूमि का अधिग्रहण तथा वासक्षेत्र स्वामियों का स्थान परिवर्तन, जो अभी भी परियोजना क्षेत्र में रह रहे हैं।
			यू-2	660	जुलाई-17	अप्रैल-20			
			यू-3	660	जन.-18	मार्च-22			

4	*छत्तीसगढ़*	लारा एसटीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-दूसन टीजी-बीजीआर हिताची	यू-2	800	मई-17	दिसं.-19	11846	11846	विद्युत उपस्कर आपूर्ति के कारण देरी, भूमि अधिग्रहण में देरी, सहायक बॉयलरों की तैयारी में देरी।
5	*झारखंड*	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी/ एनटीपीसी/भेल	यू-1	660	फर.-18	अक्तू.-20	14367	14367	भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण सिविल कार्यों को शुरू करने में देरी। बॉयलर फाउंडेशन से संबंधित भेल आपूर्तियों में देरी। मुख्य संयंत्र के क्षेत्र में बदलाव, प्लॉट की योजना में बदलाव के कारण एनटीपीसी द्वारा भेल को भूमि सौंपने में देरी। भेल द्वारा एसीसी पैकेज के अवार्ड में देरी।
			यू-2	660	अग.-18	अक्तू.-21			
			यू-3	660	फर.-19	मार्च-22			
6	*मध्य प्रदेश*	गदरवारा एसटीपीपी/एनटीपीसी/ बीटीजी-भेल	यू-2	800	सितं.-17	दिसं.-19	11638.55	11638.55	पहले से ही अधिग्रहित भूमि के लिए ग्रामवासियों द्वारा अतिरिक्त मुआवजे की मांग संबंधी आंदोलन के कारण कार्य रूका। रेलवे लाइन कॉरिडोर के लिए शेष भूमि अधिग्रहण में देरी, सिविल एजेंसी (बीएण्डआर) द्वारा धीमी प्रगति। एमयूडब्ल्यू पाइपलाइन बिछाने के लिए आरओयू।
7	*मध्य प्रदेश*	खरगोन एसटीपीपी/एनटीपीसी/ ईपीसी-एलएंडटी	यू-1	660	मार्च-19	जुलाई-19	9870.51	9870.51	पश्चिम रेलवे द्वारा खंडवा से नीमरखेड़ी (रेलवे साइडिंग हेतु प्रारंभिक स्थल) तक ब्रॉड गेज कार्य। आरओडब्ल्यू के शेष लाभार्थियों, जो संयंत्र से मेक अप वाटर पम्प हाउस स्थल तक 66 केवी पारेषण लाइन बिछाने के लिए मुआवजे की राशि स्वीकार नहीं कर रहे थे, को मुआवजे की राशि का संवितरण।
			यू-2	660	सितं.-19	मार्च-20			
8	*ओडिशा*	दार्लीपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी/ एसजी-भेल टीजी-जेएसडब्ल्यू और तोशीबा	यू-1	800	फर.-18	सितं.-19	12532.44	12532.44	रेलवे साइडिंग के लिए शेष भूमि अधिग्रहण के कारण देरी, वाटर लाइन तैयार करने के लिए आरओयू मुद्दे।
			यू-2	800	जून-18	जून-20			
9	राजस्थान	बरसिंगर टीपीपी एक्सटें./एनएलसी/ रिलयांस इंफ्रा	यू-1	250	मई-20	रोककर रखा	2112.59	2112.59	राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना लागत में वृद्धि एवं समय आधिक्य के कारण, राजस्थान डिस्कॉम विद्युत खरीदने की स्थिति में नहीं होगा। एनएलसीआईएल ने उत्तर दिया है कि खदान से संपर्क के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण विलंब है और निर्णय की समीक्षा करने की सूचना दी है। मामला राजस्थान सरकार के पास लंबित है।
10	राजस्थान	बिथोक टीपीपी/एनएलसी/रिलायंस इंफ्रा	यू-1	250	मई-20	रोककर रखा	2196.3	2196.3	राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना लागत में वृद्धि एवं समय आधिक्य के कारण, राजस्थान डिस्कॉम विद्युत खरीदने की स्थिति में नहीं होगा। एनएलसीआईएल ने उत्तर दिया है कि खदान से संपर्क के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण विलंब है और निर्णय की समीक्षा करने की सूचना दी है। मामला राजस्थान सरकार के पास लंबित है। **परियोजना को रोककर रखा गया है।**

11	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I /एनटीपीसी/एसजी-भेल टीटी-एल्सटॉम और भारतफोर्ज	यू-1	800	जन.-20	अग.-20	10599	10599	नए पर्यावरणीय मानकों के संबंध में बॉयलर डिजाइन में परिवर्तन। भेल आपूर्ति में विलंब।
			यू-2	800	जुलाई-20	जुलाई-21			
12	*तमिलनाडु*	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी/भेल	यू-1	500	सितं.-17	अग.-19	5907.11	5907.11	मुख्य संयंत्र क्षेत्र की नींव (गहराई) की डिजाइन में परिवर्तन तथा सिविल कांट्रेक्टरों को अंतिम रूप दिए जाने में देरी। एचडीपीई पाइपों को लगाने का कार्य पूरा न होने के कारण मीठे जल की उपलब्धता में देरी। सीडब्ल्यू प्रणाली के आउटलेट चैनल एवं संरचना के आदेश देने में देरी। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
			यू-2	500	मार्च-18	मार्च-20			
13	*उत्तर प्रदेश*	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम/एसजी-बीजीआर टीजी-तोशीबा	यू-2	660	दिसं.-16	जून-20	10821	10821	बीजीआर और हिताची के बीच क्यूएसजीएम का निस्तारण न होने के कारण मैसर्स बीजीआर द्वारा बॉयलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
14	*उत्तर प्रदेश*	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम/एमएचपीएस बॉयलर प्रा. लि.	यू-1	660	अप्रैल-20	फर.-22	17237.8	17237.8	गैर-क्रमिक सामग्री आपूर्ति।
			यू-2	660	अक्तू.-20	अग.-23			
			यू-3	660	अक्तू.-20	फर.-23			
15	*उत्तर प्रदेश*	टांडा टीपीपी स्टे.-II/ एनटीपीसी/ एसजी: एलएंडटी/टीजीः एल्सटॉम	यू-1	660	सितं.-18	सितं.-19	9188.98	9188.98	मुख्य संयंत्र एवं एश डाइक एरिया में शेष भूमि अधिग्रहण। सिविल एजेंसी द्वारा खराब जुटाव, इंजीनियरिंग और आपूर्ति में देरी।
			यू-2	660	मार्च-19	अप्रैल-20			
16	*झारखंड*	पतरातू एसटपीपी/एनटीपीसी और झारखंड विद्युत वितरण निगम लि. का संयुक्त उद्यम	यू-1	800	दिसं.-21	मई-22			नई शुरू की गई।
			यू-2	800	जन.-22	सितं.-22			
			यू-3	800	जुलाई-22	दिसं.-22			
17	*ओडिशा*	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन/ एनटीपीसी-सेल पावर कं. लि. (एनएसपीसीएल) (एनटीपीसी एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) का संयुक्त उद्यम)/भेल	यू-1	250	दिसं.-18	अप्रैल-22	1885.13	1885.13	गैर-क्रमिक सामग्री आपूर्ति। परियोजना सुविधाओं जैसे कि रेलवे साइडिंग, वाटर कॉरीडोर आदि की गैर-क्रमिक आयोजना।
राज्य क्षेत्र									
1	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V/एपजेनकों/बीटीजी-भेल	यू-1	800	जून-19	फर.-20	5286.54	5286.54	नई शुरू की गई।
2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II/एपजेनकों/बीटीजी-भेल	यू-1	800	मार्च-19	सितं.-20	4276.04	6034	सिविल कार्य के कारण धीमी प्रगति।
3	*असम*	नामरूप सीसीजीटी/एपीजीसीएल/ भेल	एसटी	36.15	जन.-12	दिसं.-19	411	693.73	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और सिविल कार्यों की मंद प्रगति, सिविल ठेकेदारों की सेवा समाप्ति। खराब मृदा तथा भारी वर्षा। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और दक्ष जनशक्ति की कमी। एनबीपीएल आदेश की समाप्ति। सिविल तथा इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंसी के रि-अवार्ड में विलंब।

4	*गुजरात*	वानकबोली टीपीएस एक्सटें./ जीएसईसीएल एसजी-एल्सटॉम टीजी-सीमेन्स	यू-8	800	अक्तू.-18	अक्तू.-19	3536.51	3536.51	सॉइल स्ट्राटा के कारण बीटीजी क्षेत्र में काफी संग्रह (संख्या 4300) किया जा चुका है। एनडीसीटी (100 प्रतिशत) एवं फ्लाई ऐश के निस्तारण की तैयारी नहीं। टीजी डेक की तैयारी में विलंब।
5	*कर्नाटक*	केपीसीएल द्वारा येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370	मार्च-18	अक्तू.-19	1571.18	1571.18	भारी वर्षा के कारण विलंब।
6	*महाराष्ट्र*	भुसावल टीपीएस/महाजेनको	यू-6	660	आंकड़े नहीं	आंकड़े नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	नई शुरू की गई।
7	*ओडिशा*	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजीसीएल बीटीजी-भेल	यू-4	660	दिसं.-17	सितं.-19	11965	11965	रेलवे साइडिंग के लिए भूमि का अधिग्रहण और स्टार्ट अप पावर की उपलब्धता।
9	*राजस्थान*	सूरतगढ़ एससीटीपीपी/ आरआरवीयूएनएल/भेल	यू-7	660	सितं.-16	सितं.-19	7920	7920	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
			यू-8	660	दिसं.-16	सितं.-20			
10	*तेलंगाना*	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजेनको/भेल	यू-1	270	मार्च-17	मार्च-20	5044	7290.6	एनजीटी तथा एमओईएफ स्वीकृति न होने के कारण कार्य रूका।
			यू-2	270	मई-17	सितं.-20			
			यू-3	270	जुलाई-17	मार्च-21			
			यू-4	270	सितं.-17	सितं.-22			
11	*तमिलनाडु*	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)/टैंजेडको बीटीजी-लैंको	यू-1	660	जन.-18	जुलाई-21	5421.38	5421.38	लैंको इंसॉलवेंसी प्रॉब्लम के कारण विलंब।
12	*तमिलनाडु*	एन्नोर एससीटीपीपी/टैंजेडको/भेल	यू-1	660	जन.-18	जुलाई-21	9800	9800	पावर ब्लॉक एरिया में अत्यधिक जमाव तथा सिविल कार्य की धीमी प्रगति के कारण देरी।
			यू-2	660	मार्च-18	फर.-22			
13	*तमिलनाडु*	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III टैंजेडको/भेल	यू-1	800	मार्च-19	जुलाई-20	6376	6376	सिविल कार्य के कारण धीमी प्रगति।
14	*तमिलनाडु*	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I/ टैंजेडको, ईपीसी-भेल	यू-1	660	फर.-21	दिसं.-21	13076.71	13076.705	नई शुरू की गई।
			यू-2	660	फर.-21	जून-22			
15	*तमिलनाडु*	अपर सुकर क्रिटिकल टीपीपी टैंजेडको/भेल	यू-1	800	मार्च-19	मार्च-22	12778	12778	शुरू होने में विलंब एवं सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। गैर-क्रमिक सामग्री आपूर्ति।
			यू-2	800	अक्तू.-19	सितं.-22			
16	*उत्तर प्रदेश*	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II/ यूपीआरवीयूएनएल/तोशीबा जेएसडब्ल्यू	यू-1	660	जून-19	अप्रैल-20	4826.49	4826.49	एमओईएफएंडसीसी स्वीकृति की देरी से प्राप्ति।
17	*तेलंगाना*	याद्रादरी टीपीएस/टीएसजेनको/भेल	यू-1	800	अक्तू.-20	अक्तू.-20	29965	29965	नई शुरू की गई।
			यू-2	800	अक्तू.-20	अक्तू.-20			
			यू-3	800	अक्तू.-21	अक्तू.-21			
			यू-4	800	अक्तू.-21	अक्तू.-21			
			यू-5	800	अक्तू.-21	अक्तू.-21			
18	*उत्तर प्रदेश*	जवाहरपुरएसटीपीपी/ यूपीआरवीयूएनएल/दूसन	यू-1	660	सितं.-20	मार्च-21	10556.27	10556.27	नई शुरू की गई।
			यू-2	660	जन.-21	जुलाई-21			
19	*उत्तर प्रदेश*	पनकी टीपीएस एक्सटें./ यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660	आंकड़े नहीं	आंकड़े नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	नई शुरू की गई।

20	*उत्तर प्रदेश*	ओबरा-सी एसटीपीपी/ यूपीआरवीयूएनएल/दूसन	यू-1	660	सितं.-20	अप्रैल-21	10416	10416	सिविल कार्य के कारण धीमी प्रगति।
			यू-2	660	दिसं.-20	दिसं.-20			
निजी क्षेत्र									
1	*आंध्र प्रदेश*	भवानापडु टीपीपी फेज-I/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि. बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660	अक्तू.-13	अनिश्चित	6571.94	9343.15	काफी समय तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण कार्य रोककर रखा गया। कार्य पुनः शुरू होने के बाद, दो तूफानों के कारण कार्य बाधित हुआ। राज्य विभाजन के विरुद्ध प्रदर्शन। वित्तीय कठिनाईयों के कारण स्थल पर कार्य की धीमी प्रगति।
			यू-2	660	मार्च-14	अनिश्चित			
2	*आंध्र प्रदेश*	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/ मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	यू-3	350	मई-12	दिसं.-20	3120 (600 मे.वा./ 5005 (700 मे.वा.)		सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्या के कारण लंबे समय तक के लिए स्थल पर कार्य बंद पड़ा रहा।
			यू-4	350	अग.-12	मार्च-21			
3	बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा टीपीपी)/ जेआईसीपीएल बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660	अग.-14	अनिश्चित	11120	11120	कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। *कार्य पुनः शुरू होने के बाद चालू करने की अनुसूची का मूल्यांकन किया जाएगा।
			यू-2	660	दिसं.-14	अनिश्चित			
			यू-3	660	अप्रैल-15	अनिश्चित			
			यू-4	660	अग.-15	अनिश्चित			
4	*छत्तीसगढ़*	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि./चाइनीज	यू-4	600	अप्रैल-13	अप्रैल-22	16190	27080	वित्तीय कठिनाईयों के कारण विलंब।
			यू-5	600	अग.-13	अनिश्चित			
			यू-6	600	दिसं.-13	अनिश्चित			
5	*छत्तीसगढ़*	बिंजकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-हरबिन चीन	यू-3	300	मार्च-14	अनिश्चित	5058	7940	कार्य अभी शुरू किया जाना है। ऐश डाइक के लिए शेष भूमि अधिग्रहण में विलंब।
			यू-4	300	जून-14	अनिश्चित			
6	*छत्तीसगढ़*	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II/एलएपी प्रा. लि. बीटीजी-डीईसी	यू-3	660	जन.-12	अनिश्चित	6886	10815.24	जल प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण वर्तमान में साइट पर कार्य धीमा चल रहा है।
			यू-4	660	मार्च-12	अनिश्चित			
7	*छत्तीसगढ़*	सिंघीतराई टीपीपी/एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. बीटीजी-डीईसीएल	यू-1	600	नवं.-14	अनिश्चित	6200	8443.79	भूमि अधिग्रहण में विलंब। बॉयलर एवं टीजी निर्माण की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्याओं के कारण विलंब।
			यू-2	600	फर.-15	अनिश्चित			
8	*छत्तीसगढ़*	सलोरा टीपीपी/वंदना विद्युत/ बीटीजी-सेथर वेसेल्स	यू-2	135	सितं.-11	अनिश्चित	1458.44	1458.44	यूनिट-I को चालू करने में विलंब। ग्रामीणों द्वारा साइट पर विरोध। बीटीजी और सीएचपी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। चालू करने के कार्यों में बीटीजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा असहयोग। रेलवे साइडिंग और ऐश पांड के लिए अधिग्रहण।
9	*छत्तीसगढ़*	देवेरी (वीसा) टीपीपी/वीसा पावर लि. बीटीजी-भेल	यू-1	600	अग.-13	अनिश्चित	2618.7	3930	एएचपी, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, एसी एवं वातायन प्रणाली, एलटी/एचटी स्विचगियर, केबल, एयर कंप्रेशर, एलटी ट्रांसफार्मर, स्टेशन, जीटी एवं यूनिट ट्रांसफार्मर के लिए ऑर्डर अब तक नहीं दिए गए हैं। वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य रुका हुआ है।

10	*झारखंड*	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I/ कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-1	270	अप्रैल-12	अनिश्चित	2900	2900	कानून व व्यवस्था की समस्या। बीटीजी उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। वन स्वीकृति के कारण पारेषण लाइन तैयार करने में विलंब। नवम्बर, 2012 से वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रोक दिया गया है।
			यू-2	270	मई-12	अनिश्चित			
11	*झारखंड*	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II/ कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-3	270	अक्तू.-12	अनिश्चित	3182	3182	कानून व व्यवस्था की समस्या और बीटीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। साइट पर वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रोक दिया गया है। *कार्य पुनः शुरू होने के बाद चालू करने की अनुसूची का मूल्यांकन किया जाएगा।
			यू-4	270	जन.-13	अनिश्चित			
12	*झारखंड*	तोरी टीपीपी फेज-I/एस्सार पावर लि. बीटीजी-चीन	यू-1	600	जुलाई-12	अनिश्चित	5700	5700	कानून व व्यवस्था की समस्या। सिविल कार्य की शुरुआत में विलंब एवं कार्य की धीमी प्रगति। यूनिट-II के लिए एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। पूर्व में आवंटित कोयला ब्लॉकों के रद्द होने के बाद कार्य रोक दिया गया।
			यू-2	600	सितं.-12	अनिश्चित			
13	*झारखंड*	तोरी टीपीपी फेज-II/एस्सार पावर लि.	यू-3	600	दिसं.-15	अनिश्चित	2500	2500	
14	*महाराष्ट्र*	अमरावती टीपीपी फेज-II/रतन इंडिया पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	यू-1	270	जुलाई-14	अनिश्चित	6646	6646	वित्तीय समस्याओं के कारण साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। *कार्य पुनः शुरू होने के बाद चालू करने की अनुसूची का मूल्यांकन किया जाएगा।
			यू-2	270	सितं.-14	अनिश्चित			
			यू-3	270	नवं.-14	अनिश्चित			
			यू-4	270	जन.-15	अनिश्चित			
			यू-5	270	मार्च-15	अनिश्चित			
15	*महाराष्ट्र*	लैंको विदर्भ टीपीपी/एलवीपी प्रा. लि. ईपीसी-लैंको	यू-1	660	जुलाई-14	अनिश्चित	6936	10433	वित्तीय समस्याओं के कारण साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
			यू-2	660	नवं.-14	अनिश्चित			
16	*महाराष्ट्र*	नासिक टीपीपी फेज-II/ रतन इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	यू-1	270	अप्रैल-13	अनिश्चित	6789	6789	वित्तीय समस्याओं के कारण इस स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। इसे 13वीं योजना में ले जाया जा सकता है। *कार्य पुनः शुरू होने के बाद चालू करने की अनुसूची का मूल्यांकन किया जाएगा।
			यू-2	270	जून-13	अनिश्चित			
			यू-3	270	अग.-13	अनिश्चित			
			यू-4	270	अक्तू.-13	अनिश्चित			
			यू-5	270	दिसं.-13	अनिश्चित			
17	*महाराष्ट्र*	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि./बीटीजी- चीन	यू-1	300	दिसं.-16	अनिश्चित	3189	3450	क्षमता में 2x250 मेगावाट से 2x300 मेगावाट में परिवर्तन के कारण विलंब।
			यू-2	300	मार्च-17	अनिश्चित			
18	*महाराष्ट्र*	शीरपुर टीपीपी, शीरपुर पावर प्रा. लि.-भेल	यू-2	150	अप्रैल-15	अनिश्चित	2413	2413	स्टार्ट अप पावर में विलंब, पीपीए न होना, कोयला लिंकेज न होना, वित्तीय बाधाएं।
19	*मध्य प्रदेश*	गोरजी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि. बीटीजी-भेल	यू-1	660	जून-13	अनिश्चित	3941	3941	मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। कार्य रोककर रखा गया है। *कार्य पुनः शुरू होने के बाद चालू करने की अनुसूची का मूल्यांकन किया जाएगा।
21	*ओडिशा*	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)/इंड बराथ/बीटीजी-सेथर वेसेल्स	यू-2	350	दिसं.-11	अनिश्चित	3150	4001	भारी बारिश के कारण विलंब। विद्युत स्टार्ट अप के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब। चालू करने की समस्याएं जैसे कि बॉयलर की फायरिंग गनों में परिवर्तन और बाइपास वाल्व में परिवर्तन।

22	*ओडिशा*	केवीके नीलांचल टीपीपी/ केवीके नीलांचल/बीटीजी-हरबिन चीन	यू-1	350	दिसं.-11	अनिश्चित	4990	6000	आरंभ में चिमनी स्वीकृति और कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण विलंब हुआ। माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा स्टे के कारण कार्य रोक दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने 20.05.2014 को कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। ऋणदाताओं द्वारा परियोजना की संशोधित लागत के अनुमोदन में विलंब।
			यू-2	350	फर.-12	अनिश्चित			
			यू-3	350	फर.-12	अनिश्चित			
23	*ओडिशा*	लेंको बाबंध टीपीपी/एलबीपी लि./ बीटीजी-चाइनीज	यू-1	660	अप्रैल-13	अनिश्चित	6930	10430	भूमि अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण साइट पर कार्य धीमी गति से चल रहा है।
			यू-2	660	अग.-13	अनिश्चित			
24	*ओडिशा*	मली ब्राह्मणी टीपीपी/एमपीसीएल /बीटीजी-भेल	यू-1	525	दिसं.-12	अनिश्चित	5093	6330	भूमि अधिग्रहण में विलंब और टीजी हॉल संरचनाओं की आपूर्ति में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण धीमी प्रगति।
			यू-2	525	फर.-13	अनिश्चित			
25	*तमिलनाडु*	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)/ आईबीपीआईएल/बीटीजी-चाइनीजं	यू-1	660	मई-12	अनिश्चित	3595	3595	सिविल कार्यों की देर से शुरुआत और धीमी प्रगति तथा स्थल पर बॉयलर संरचनात्मक सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
26	*तमिलनाडु*	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV/ एसईपीसी/ईपीसी-एमईआईएल (बीटीजी-भेल)	यू-1	525	सितं.-18	दिसं.-20	3514	3514	बीओपी क्षेत्रों में धीमी प्रगति, इंटरकनेक्शन और पारेषण सुविधा अवार्ड किए जाने में देरी।
27	*पश्चिम बंगाल*	हिरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया टीपीपी/ हल्दियो एनर्जी लि./बीटीजी-भेल	यू-3	150	मई-16	अनिश्चित	2656	3307	पश्चिम बंगाल में हल्दिया और आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण संबंधी क्रियाकलाप न करने के लिए एमओईएफ का स्थगन।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5322

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

ट्रक/लॉरी बॉडी निर्माण इकाइयों हेतु विद्युत आपूर्ति

5322. श्री ए.के.पी. चिनराजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के नामाक्कल-तिरुचेंगोड क्षेत्र में चल रही लगभग 250 से अधिक ट्रक/लॉरी बॉडी निर्माण इकाइयां हाल के महीनों में अनियमित बिजली कटौती से प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में एक प्रमुख ट्रक हब माने जाने वाले नामाक्कल-तिरुचेंगोड बेल्ट में काम करने वाली उक्त इकाइयों के लिए नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए एक अलग विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्यत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य आदि के भीतर विभिन्न शहरों में औद्योगिक क्षेत्र सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) का उत्तरदायित्व है।

तमिलनाडु में नामाक्कल-तिरूचेंगोड क्षेत्र में ट्रक/लारी बॉडी निर्माण इकाइयों में अनियमित बिजली कटौती के बारे में इस मंत्रालय में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल-जून, 2019 के दौरान तमिलनाडु में उद्योगों पर कोई अधिसूचित विद्युत कटौती/प्रतिबंध नहीं थे।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस मुक्त कार्यकलाप है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं (जल तथा नाभिकीय विद्युत परियोजना को छोड़कर) की स्थापना विद्युत की मांग तथा प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न यूटिलिटियों और राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा की जाती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5329

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र संबंधी समिति

5329. श्री एच. वसंतकुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में बिजली-कटौती काफी आम हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस हद तक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है;

(ख) क्या बिजली-कटौती की सुविधाओं और घरों/उद्योगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिजली-कटौती को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आबंटित की गयी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) का है। इस प्रकार बिजली की कटौती और घरों/उद्योग पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, की निगरानी संबंधित राज्य सरकार/वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा की जानी होती है।

30.06.2019 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 358 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष 2019-20 (जून, 2019 तक) के दौरान हुई अधिकतम व्यस्ततम मांग लगभग 184 जीडब्ल्यू थी। अप्रैल-जून, 2019 के दौरान देश में औसत विद्युत कमी केवल लगभग 0.4 प्रतिशत और व्यस्ततम विद्युत कमी केवल लगभग 0.6 प्रतिशत थी। यह अंतर विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण नहीं है, अपितु वितरण नेटवर्क में कठिनाईयों, वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय के लिए वित्तीय कठिनाईयों आदि जैसे घटकों के कारण है। चालू वर्ष (जून, 2019 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) : भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। ये योजनाएं वितरण नेटवर्क/ग्रिड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा सभी के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी सहायता करती हैं तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने में सहायक होंगी। डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) तथा आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत निधि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

भारत सरकार केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत आवंटित करके भी हुई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। मांग और आपूर्ति के बीच किसी अंतर को पूरा करने के लिए राज्य पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न बाजार तंत्रों के जरिए भी विद्युत खरीद सकते हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5329 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2019 - जून, 2019*				अप्रैल, 2019 - जून, 2019*			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	500	500	0	0.0	413	413	0	0.0
दिल्ली	9,904	9,899	5	0.0	6,904	6,904	0	0.0
हरियाणा	14,420	14,420	0	0.0	10,237	10,237	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,541	2,523	19	0.7	1,619	1,619	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	5,043	4,166	877	17.4	3,033	2,426	607	20.0
पंजाब	15,315	15,309	6	0.0	13,090	13,090	0	0.0
राजस्थान	20,856	20,835	21	0.1	12,620	12,620	0	0.0
उत्तर प्रदेश	36,022	35,804	218	0.6	22,487	22,057	430	1.9
उत्तराखंड	3,861	3,778	84	2.2	2,164	2,164	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	**108,462**	**107,233**	**1,229**	**1.1**	**65,950**	**64,838**	**1,112**	**1.7**
छत्तीसगढ़	8,315	8,314	1	0.0	4,596	4,574	22	0.5
गुजरात	31,725	31,725	0	0.0	18,437	18,424	13	0.1
मध्य प्रदेश	18,994	18,994	0	0.0	10,187	10,180	7	0.1
महाराष्ट्र	42,724	42,724	0	0.0	23,621	23,613	8	0.0
दमन व दीव	660	660	0	0.0	351	350	1	0.2
दादरा नागर हवेली	1,637	1,637	0	0.0	824	824	0	0.0
गोवा	1,158	1,158	0	0.0	622	621	1	0.1
पश्चिमी क्षेत्र	**105,213**	**105,212**	**1**	**0.0**	**57,113**	**57,093**	**20**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	17,427	17,413	14	0.1	10,170	10,170	0	0.0
तेलंगाना	15,565	15,563	2	0.0	10,269	10,202	67	0.7
कर्नाटक	19,363	19,360	2	0.0	12,700	12,688	12	0.1
केरल	7,067	7,052	15	0.2	4,487	4,300	186	4.2
तमिलनाडु	29,828	29,825	3	0.0	15,680	15,668	11	0.1
पुडुचेरी	787	786	1	0.1	464	462	2	0.5
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**90,037**	**89,999**	**38**	**0.0**	**49,218**	**49,103**	**115**	**0.2**
बिहार	8,705	8,700	6	0.1	5,754	5,754	0	0.0
डीवीसी	5,685	5,683	2	0.0	3,118	3,118	0	0.0
झारखंड	2,272	2,254	18	0.8	1,396	1,389	6	0.5
ओडिशा	7,937	7,937	0	0.0	5,207	5,207	0	0.0
पश्चिम बंगाल	15,120	15,076	44	0.3	9,115	9,115	0	0.0
सिक्किम	121	121	0	0.0	99	99	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	6.7	58	54	4	7
पूर्वी क्षेत्र	**39,841**	**39,772**	**69**	**0.2**	**24,113**	**24,113**	**0**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	190	188	1	0.6	146	144	2	1.4
असम	2,541	2,354	187	7.3	1,935	1,791	144	7.4
मणिपुर	206	204	2	1.0	197	188	9	4.8
मेघालय	500	481	19	3.8	367	367	0	0.0
मिजोरम	147	145	1	0.8	116	113	3	2.8
नागालैंड	190	188	2	0.8	157	140	17	11.0
त्रिपुरा##	446	432	14	3.2	320	311	9	2.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**4,218**	**3,992**	**226**	**5.4**	**2,922**	**2,861**	**61**	**2.1**
अखिल भारत	**347,771**	**346,208**	**1,563**	**0.4**	**183,673**	**182,533**	**1,140**	**0.6**

* अनंतिम

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटियों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5329 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2014-15 से आईपीडीएस के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार संस्वीकृत निधि

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
अंडमान और निकोबार	-	-	11	-	-	11
आंध्र प्रदेश	260	133	12	82	78.65	566
अरुणाचल प्रदेश	-	128	-	-	7.16	136
असम	-	498	-	63	70.92	631
बिहार	148	1,123	-	41	591.14	1,903
छत्तीसगढ़	-	296	40	32	27.35	395
दिल्ली	-	-	119	-	-	119
गोवा	-	-	-	19	31.19	51
गुजरात	226	453	13	112	-	803
हरियाणा	-	48	187	23	38.69	296
हिमाचल प्रदेश	-	95	-	33	33.93	162
जम्मू और कश्मीर	-	380	-	18	45.83	444
झारखंड	-	-	443	33	0.01	475
कर्नाटक	-	689	-	103	119.62	912
केरल	-	-	375	65	3.19	443
महाराष्ट्र	-	1,392	63	82	64.15	1,601
मणिपुर	-	111	-	3	19.45	133
मेघालय	-	53	-	-	38.97	92
मिजोरम	-	42	-	3	49.45	95
मध्य प्रदेश	44	864	-	81	95.75	1,085
नागालैंड	-	-	38	-	79.77	117
ओडिशा	-	314	338	86	7.45	745
पुडुचेरी	-	13	-	-	0.00	13
पंजाब	-	196	-	68	15.43	280
राजस्थान	-	788	-	116	62.20	966
सिक्किम	-	-	-	13	123.97	137
तमिलनाडु	-	945	-	81	90.03	1,116
तेलंगाना	-	393	14	49	6.04	463
त्रिपुरा	-	63	-	27	98.38	188
उत्तर प्रदेश	643	2,200	-	361	64.04	3,267
उत्तराखंड	-	163	10	34	409.35	617
पश्चिम बंगाल	647	957	166	19	52.71	1,841
कुल जोड़	**1968**	**12336**	**1830**	**1645**	**2325**	**20,103**

2014-15 से डीडीयूजीजेवाई के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार संस्वीकृत निधि

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (घरों के विद्युतीकरण के लिए सहायता हेतु डीडीयूजीजेवाई के तहत संस्वीकृत अतिरिक्त राशि)	कुल संस्वीकृति (2014-15 से 2018-19 तक)
1	आंध्र प्रदेश	328.60	593.46				941.41
2	अंडमान और निकोबार			20.96			20.96
3	अरुणाचल प्रदेश		267.20			292.13	718.65
4	असम		1274.10			1493.57	3028.86
5	बिहार		5856.37				5856.37
6	छत्तीसगढ़		1253.98	9.48		83.64	1616.31
7	दादर और नगर हवेली		5.00				5.00
8	गोवा		20.00				20.00
9	गुजरात		924.72				924.72
10	हरियाणा		316.38			30.31	346.69
11	हिमाचल प्रदेश	159.12				8.68	167.80
12	जम्मू और कश्मीर		619.67			875.03	1556.97
13	झारखंड		3696.22	25.9		1077.7	4996.00
14	कर्नाटक		1750.11	4.19		126.74	1881.65
15	केरल		485.37				485.37
16	मध्य प्रदेश	2865.25		20.03		998.64	3889.17
17	महाराष्ट्र		2163.44	11.53		368.92	2543.89
18	मणिपुर		54.96			60.27	132.28
19	मेघालय		261.69			381.33	659.53
20	मिजोरम		30.43			31.65	62.08
21	नागालैंड		42.38	42.18		28.31	112.87
22	ओडिशा		1654.53			508.63	2258.21
23	पुडुचेरी			20.15			20.15
24	पंजाब		252.06				252.06
25	राजस्थान		2819.41			1219.21	4127.83
26	सिक्किम			49.7		37.36	87.06
27	तेलंगाना		462.30				462.30
28	तमिलनाडु	924.12					924.12
29	त्रिपुरा		74.12			358.64	432.76
30	उत्तर प्रदेश	313.93	6632.99			6289.57	13236.49
31	उत्तराखंड		842.00				845.30
32	पश्चिम बंगाल	4262.10					4262.10
		8853.12	**32352.91**	**204.12**	**0**	**14270.33**	**56874.979**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5339

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत भूमि

5339. श्री जी.एम. सिद्देश्वराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सरकारी और निजी विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए प्रभावित लोगों को मुआवज़ा प्रदान करने के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए प्रभावित लोगों को कोई मुआवज़ा प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 जो 01.01.2014 से लागू है, अधिसूचित किया है। प्रभावित परिवारों को भुगतान की जाने हेतु भूमि प्रतिकर के बारे में प्रावधान आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची-I के अनुसार शासित है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अधिनियमन से पूर्व भूमि प्रतिकर प्रावधान भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अनुसार शासित था। तथापि, उपरोक्त दो अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। जम्मू और कश्मीर में भूमि अर्जन और प्रतिकर मुद्दें जम्मू और कश्मीर भूमि अधिनियम, 1991 के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाते हैं।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए अन्य सुरक्षा उपायों के साथ-साथ उनकी भूमि/परिसंपत्तियों का उचित प्रतिकर/प्रतिस्थापन लागत का अनुमान लगाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित हैं। अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्वव्यस्थापन

(आरआर) उपबंध के ब्यौरे में विस्थापित परिवारों के लिए वास्तविक प्रतिस्थापन के मामले में घर का प्रावधान, भूमि विकल्प के लिए भूमि, विकसित भूमि के लिए प्रस्ताव, वार्षिकी अथवा रोजगार का विकल्प, विस्थापित परिवारों के लिए निर्वाह अनुदान और ढुलाई लागत, शिल्पकारों/छोटे व्यापारियों के लिए एकबारगी अनुदान, प्रभावित परिवारों को एकबारगी पुनर्वासन भत्ता, जल-विद्युत/सिंचाई परियोजनाओं आदि के मामले में मत्स्य अधिकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार अतिरिक्त निर्वाह का अनुदान, इसी प्रकार के पारिस्थितिकीय जोन में पुनर्वास के लिए तरजीह जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों तथा आरएण्डआर सहायता के लिए पात्र होंगे।

परियोजना प्राधिकारी जिला प्रशासन/राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्णीत तथा उनके द्वारा की गई मांग के अनुसार भूमि प्रतिकर के लिए अपेक्षित राशि जमा करते हैं। जिसके बाद जिला प्रशासन/राज्य प्राधिकारी पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रतिकर संवितरित करते हैं।

निजी विद्युत परियोजनाओं के संबंध में प्रतिकर का भुगतान संबंधित राज्य सरकारों की नीति के अनुसार निजी कम्पनी द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) : जी हां विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि हेतु प्रभावित परिवारों को भूमि कर का भुगतान कर दिया गया है। ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5339 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान किए गए मुआवजे का यूटिलिटी-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	यूटिलिटी	राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम	प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान किए गए मुआवजे की राशि (करोड़ रुपए में)				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1.	एनएचपीसी लि.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	24.6658	शून्य	24.6658
2.	एनएचपीसी लि.	जम्मू और कश्मीर	2.1732	0.6679	0.2575	शून्य	3.0986
3.	एनएचपीसी लि.	पश्चिम बंगाल	6.2957	1.249	0.1937	शून्य	7.7384
4.	एनएचपीसी लि.	सिक्किम	शून्य	शून्य	6.7978	शून्य	6.7978
5.	एनएचपीसी लि.	हिमाचल प्रदेश	32.5936	1.1198	0.2847	शून्य	33.9981
6.	एनटीपीसी लि.	बिहार	2.66	0.54	21.04	शून्य	24.24
7.	एनटीपीसी लि.	छत्तीसगढ़	शून्य	0.46	1.77	14.3	16.53
8.	एनटीपीसी लि.	महाराष्ट्र	शून्य	66.76	शून्य	शून्य	66.76
9.	एनटीपीसी लि.	मध्य प्रदेश	123.77	शून्य	5.13	शून्य	128.9
10.	एनटीपीसी लि.	ओडिशा	शून्य	शून्य	60.81	शून्य	60.81
11.	एनयूपीपीएल	उत्तर प्रदेश	47.67			7.90	55.57
12.	एनटीपीएल	तमिलनाडु	शून्य	35.0557	शून्य	शून्य	35.0557
13.	एसजेवीएन लि.	बिहार	6.52	0.19	27.53	शून्य	34.24
14.	एसजेवीएन लि.	हिमाचल प्रदेश	6.93	शून्य	शून्य	शून्य	6.93
15.	डीवीसी	झारखंड	5.67	20.36	1.53	39.99	67.55
16.	डीवीसी	पश्चिम बंगाल	0.63	0.14	शून्य	शून्य	0.77
17.	पीजीसीआईएल	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	1.8255	शून्य	1.8255
18.	टीएचडीसीआईएल	उत्तराखंड	0.92	0.12	शून्य	शून्य	1.04
19.	टीएचडीसीआईएल	उत्तर प्रदेश	125.36	शून्य	19.12	शून्य	144.48
20.	बीबीएमबी	हिमाचल प्रदेश	3.42	2.32	4.99	12.67	23.40

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5352

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई आरजीजीवीवाई के अंतर्गत लाभार्थी

5352. श्री अर्जुन लाल मीणाः
श्री एंटो एन्टोनीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आरजीजीवीवाई नामक योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इस योजना की शुरुआत से अब तक उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) कार्यान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना की शुरुआत से अब तक उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या सहित वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को शामिल करने के लिए कोई नए कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना का सृजन करने तथा घरों के विद्युतीकरण के लिए अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) तथा कृषि और गैर कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा गांव और घरों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण

विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरूआत की थी। पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई आरई घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में समाहित की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के विकास और सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, इन योजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान था। आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, 31.03.2019 तक संचयी रूप से 3.45 करोड़ घरों को निःशुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शन जारी किए गए थे। बीपीएल घरों को जारी किये गये राज्य-वार और वर्ष-वार निःशुल्क विद्युत कनेक्शन **अनुबंध** में दिए गए हैं।

भारत सरकार ने अंतिम छोर कनेक्टिविटी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" की शुरूआत की थी। सभी राज्यों ने 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार सौभाग्य पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 18,734 घरों को छोड़कर, सभी घरों के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी है। सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से 31.03.2019 तक देश भर में 2.63 करोड़ घर विद्युतीकृत कर दिए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्यत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए भारत सरकार द्वारा डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत 15,190.87 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने में राज्यों को सहायता मिलेगी।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5352 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के तहत बीपीएल घरों को जारी किए गए राज्य-वार और वर्ष-वार निःशुल्क विद्युत सेवा कनेक्शन

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश		226654	606750	945368	566518	258751	51348	50570				416593	301200	11760
2	अरुणाचल प्रदेश					967	9205	11347	7140	18762	4200			1892	6399
3	असम				32718	189816	352237	229936	99506	204904	79004	22077	13	245999	514281
4	बिहार	487	2724	64609	474277	560985	641016	153650	201081	103564	190571	829336	779552	917057	859652
5	छत्तीसगढ़			15302	75592	145990	196552	469005	64504	69538	62172	38239	12373	78933	34006
6	गुजरात		10373	67944	116310	85931	420126	102134	26729	11672	1726			4440	620
7	हरियाणा			6907	16930	69453	90535	9303	19	5432	1				5419
8	हिमाचल प्रदेश				392	148	3637	5135	5200	927	324				43
9	जम्मू और कश्मीर			4062	3924	14163	8452	8806	9072	14276	5260	420	713	97	52436
10	झारखंड			2826	243830	555289	359213	56545	26070	11608	12022	6314	2687	158175	507998
11	कर्नाटक	12268	107047	255421	226046	134949	48861	44631	24640	16560	19532	2735	89004	87018	190869
12	केरल			6596	3394	6131	1117		35755	60229	12329	15657	9097	108327	3112
13	मध्य प्रदेश			1099	76026	75477	211816	350132	244422	180737	173281	146391	284748	272095	343899
14	महाराष्ट्र			56287	145715	429026	403387	126317	21148	32709	6702	59		4392	382047
15	मणिपुर			1300	2056	1640	4397	19301	37	807	40649			2784	46015
16	मेघालय				1264	17832	12880	30334	22727	18262	1063	21	74	2544	
17	मिजोरम					378	8129	6236	401	4096	10023		447	285	1183
18	नागालैंड					4368	13434	10590	9048	8237	8300	507		5223	54971
19	ओडिशा			72	144056	674156	1435007	358777	78003	38896	22149	19477	42028	183685	1384305
20	पंजाब					16413	28890		26479	20000	1206				
21	राजस्थान		9236	246142	237727	208695	255939	22058	97324	17163	16755	8035	71643	166884	164042
22	सिक्किम					66	7121	2179	417	346	1622	1850			3421
23	तमिलनाडु				296	383533	115044	2329					1192	22297	7
24	तेलंगाना										868			16909	522397
25	त्रिपुरा					22085	36886	21170	18516	16383	1272	4435	23221	31416	22947
26	उत्तर प्रदेश	4060	251628	191576	251575	157263	15818	172502	3037	14695	86750	337313	482521	1010062	297115
27	उत्तराखंड		21539	61642	50111	51998	19596		4035	29000				46	7205
28	पश्चिम बंगाल		26572	32647	37181	345198	925309	524499	220661	62927	1596	6278	26857	30954	17850

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5357

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

जी.टी.टी.पी.एल. के कारण जंगलों का ह्रास

5357. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गोआ-तमनार पारेषण परियोजना लिमिटेड (जी.टी.टी.पी.एल.) द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन परियोजना के कारण 177 हेक्टेयर जंगल नष्ट/साफ हो जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अवलोकन/अध्ययन द्वारा सूचित पारितंत्र और सामाजिक प्रणाली पर तात्कालिक/दीर्घाविधिक पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के विकल्प और पुनःसंरेखन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा इस दुष्प्रभाव को कम करने हेतु क्या उपाय विचारित और लागू किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : मैसर्स गोवा-तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (जीटीटीपीएल) एक अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) लाइसेंसी है जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये अवार्ड की गई योजना "गोवा के लिए अतिरिक्त 400 केवी फीड तथा रायगढ़ (तमनार) पूल में पूल की गई उत्पादन परियोनाओं से विद्युत की निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली" कार्यान्वित कर रहा है। मैसर्स जीटीटीपीएल से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस परियोजना द्वारा वन विपथन के परियोजन के लिए प्रभावित क्षेत्र लगभग 177 हैक्टेयर होगा। तथापि, वास्तविक प्रभावित एरिया जो वृक्षों को काटने के लिए और कार्य के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जायेगा, केवल 23.098 हैक्टेयर होगा। इस प्रभावित क्षेत्र की कन्डक्टर के नीचे झाड़ी/औषधीय पौधों के प्रावधान से क्षतिपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपेक्षित स्वीकृति के लिए, परियोजना विकासकर्ता को दोगुने अर्थात 177 हैक्टेयर वन भूमि के प्रस्तावित विपथन के लिए 354 हैक्टेयर में

क्षतिपूर्ति वनारोपण करना होगा। यह वृक्षारोपण और दस वर्षों तक इसका रख-रखाव परियोजना विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा।

पारिस्थितिकी और समाजिक प्रणाली पर पारेषण लाईनों का प्रभाव न्यूनतम है। इसलिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार पारेषण लाईन परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, जब वन क्षेत्र से परोषण लाइनें गुजरती हैं तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

(ग) और (घ) : मैसर्स जीटीटीपीएल ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन सहित उपरोक्त ओवर हैड लाईनों के लिए तीन वैकल्पिक रूट प्रस्तुत किये थे। जिन रूटों में न्यूनतम वन और संरक्षित क्षेत्र शामिल है उन रूटों के लिए प्राधिकार दे दिया गया है।

उपशमन उपाय के रूप में निम्नलिखित को ध्यान में रखा गया हैः

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति वनारोपण (सीए)।
- जिस रूट में न्यूनतम वन और संरक्षित क्षेत्र शामिल हो, उसका चयन।
- प्रभाव को और कम करने के लिए, उपरोक्त लाईन के अलाईनमैंट के लिए पहले से ही मौजूद काम नहीं कर रही 110 केवी लाईन पर विचार किया गया।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5363

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत वाहनों की आपूर्ति

5363. श्रीमती लॉकेट चटर्जीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विभिन्न सरकारी विभागों हेतु 10,000 विद्युत वाहनों की आपूर्ति/पट्टे पर देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु तय समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित समय-सीमा आगे भी बढ़ाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मई, 2019 तक पट्टे पर दिए गए विद्युत वाहनों ने माइलेज के मामले में मानक से कम प्रदर्शन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी इनर्जी एफिशिंएसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने 7 मार्च, 2018 को शुरू किए गए नेशनल ई-मोबिलिटी प्रोग्राम के अन्तर्गत 10,000 ई-कार खरीदने की कारर्वाई पूरी की है। ये ई-कार पट्टे/एकमुश्त खरीद आधार पर सरकारी विभागों को उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए पैट्रोल और डीजल वाहनों के मौजूदा बेडे को प्रतिस्थापित करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

आज की तारीख तक इन ई-कारों को चार्ज करने के लिए उनके परिसरों में 295 एसी तथा 161 डीसी कैप्टिव चार्जर चालू करने सहित ईईएसएल द्वारा सम्पूर्ण भारत में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए 652 ई-कार उपलब्ध कराई गई हैं। उपलब्ध कराई गई ई-कारों और चालू किए गए चार्जरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध** में दी गई है।

13 अक्तूबर, 2017 (400 ई-कारों के लिए) तथा 28 फरवरी, 2018 (9,600 ई-कारों के लिए) को जारी अवार्ड-पत्र (एलओए) के अनुसार ई-कारों की आपूर्ति क्रमशः 30 नवम्बर, 2017 तथा 31 जनवरी, 2019 तक की जानी थी। तथापि ई-कारों की मांग लगाए गए अनुमान से कम रही है। इसलिए आपूर्ति की तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 कर दी गई है।

(घ) और (ङ) : ईईएसएल द्वारा पट्टे पर दिए गए सभी ईवी पिछले अठारह माह से चल रहे हैं और सरकारी विभागों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है। उपलब्ध कराई गई ईवी का कार्यनिष्पादन तथा माइलेज एलओए में उल्लिखित विनिदिर्ष्टियों के अनुसार है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5363 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

ईईएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-कार और चालू किए गए चार्जरों की राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार सूचीः

क्रम सं.	**राज्य/संघराज्य क्षेत्र**	**उपलब्ध कराई गई ई-कार**	**संस्थापित एसी चार्जर**	**संस्थापित डीसी चार्जर**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	20	8	4
2.	आंध्र प्रदेश	280	20	28
3.	दिल्ली	256	203	102
4.	गुजरात	10	10	2
5.	हरियाणा	14	6	2
6.	झारखंड	36	15	7
7.	मध्य प्रदेश	22	21	11
8.	महाराष्ट्र	5	2	2
9.	तेलंगाना	-	8	2
10.	उत्तर प्रदेश	9	2	1
कुल		**652**	**295**	**161**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5371

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत की आपूर्ति और मांग का आंकलन

5371. श्री आर.के. सिंह पटेलः

डॉ. वीरेन्द्र कुमारः

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत की आपूर्ति और मांग का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 में देश में विद्युत की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) देश में विद्यमान और चालू परियोजनाओं से उपलब्ध होने वाली संभावित विद्युत की प्रमात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत की कमी को दूर करने हेतु नए विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगले पांच वर्षों हेतु सरकार द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : 19वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 से 2026-27 के लिए विद्युत मांग प्रक्षेपण के साथ-साथ वर्ष 2031-32 तथा 2036-37 के लिए भावी विद्युत मांग प्रक्षेपण शामिल है। वर्ष 2020 के लिए देश की, राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार अनुमानित मांग **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) : 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, 2021-22 के अंत तक अखिल भारतीय प्रक्षेपित संस्थापित क्षमता 4,79,419 मेगावाट है जिसमें कोयले से 2,17,302 मेगावाट, गैस से 25,735 मेगावाट, जल विद्युत से 51,301 मेगावाट, नाभिकीय ऊर्जा से 10,080 मेगावाट तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट शामिल है। 19वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार इस संस्थापित उत्पादन क्षमता से 1566 बीयू प्रक्षेपित अखिल भारतीय विद्युत मांग के पूरी तरह से पूरा किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत का उत्पादन लाइसेंसमुक्त हो गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं (यूनिटों) का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की राज्य-वार सूची **अनुबंध-III** में दी गई है। निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं, जिनसे वर्ष 2021-22 तक लाभ प्राप्त होने की संभावना है, का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5371 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2020 के लिए विद्युत की अनुमानित आवश्यकता

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**
दिल्ली	35380
हरियाणा	57083
हिमाचल प्रदेश	10949
जम्मू और कश्मीर	17109
पंजाब	64730
राजस्थान	83168
उत्तर प्रदेश	132476
उत्तराखंड	17007
चंडीगढ़	2145
गोवा	5068
गुजरात	120693
छत्तीसगढ़	33463
मध्य प्रदेश	88022
महाराष्ट्र	171313
दादरा व नागर हवेली	8210
दमन और दीव	2449
आंध्र प्रदेश	68034
तेलंगाना	75164
कर्नाटक	77532
केरल	28535
तमिलनाडु	123724
पुडुचेरी	3387
बिहार	31017
झारखंड	27488
ओडिशा	30302
पश्चिम बंगाल	63979
सिक्किम	577
असम	11894
मणिपुर	1769
मेघालय	2378
नागालैंड	992
त्रिपुरा	1456
अरुणाचल प्रदेश	1210
मिजोरम	737
अंडमान और निकोबार	414
लक्षद्वीप	57
अखिल भारत	**1399913**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5371 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुमानित अनुसूची
		केंद्रीय क्षेत्र			
1	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	अप्रैल-20
			यू-2	660	अप्रैल-21
			यू-3	660	मई-22
2	बिहार	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	अप्रैल-20
3	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-1	660	सितंबर-19
			यू-2	660	अप्रैल-20
			यू-3	660	मार्च-22
4	छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी	यू-2	800	दिसंबर-19
5	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	यू-1	660	अक्तूबर-20
			यू-2	660	अक्तूबर-21
			यू-3	660	मार्च-22
6	मध्य प्रदेश	गदरवारा एसटीपीपी	यू-2	800	दिसंबर-19
7	मध्य प्रदेश	खरगोन एसटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-19
			यू-2	660	मार्च-20
8	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	सितंबर-19
			यू-2	800	जून-20
9	राजस्थान	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें.	यू-1	250	रोककर रखा
10	राजस्थान	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250	रोककर रखा
11	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800	अगस्त-20
			यू-2	800	जुलाई-21
12	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-1	500	अगस्त-19
			यू-2	500	मार्च-20
13	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-2	660	जून-20
14	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-22
			यू-2	660	अगस्त-23
			यू-3	660	फरवरी-23
15	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी स्टे.-II	यू-5	660	सितंबर-19
			यू-6	660	अप्रैल-20
16	झारखंड	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800	मई-22
			यू-2	800	सितंबर-22
			यू-3	800	दिसंबर-22
17	ओडिशा	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	यू-1	250	अप्रैल-22
	कुल केंद्रीय क्षेत्र			20420	
		राज्य क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800	फरवरी-20
2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800	सितंबर-20
3	असम	नामरूप सीसीजीटी	एसटी	36.15	दिसंबर-19
4	**गुजरात**	**वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें.**	**यू-8**	**800**	**अक्तूबर-19**
5	कर्नाटक	येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370	अक्तूबर-19
6	महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	यू-6	660	उपलब्ध नहीं
7	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	यू-4	660	सितंबर-19

8	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-7	660	सितंबर-19
			यू-8	660	सितंबर-20
9	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजेंको/भेल	यू-1	270	मार्च-20
			यू-2	270	सितंबर-20
			यू-3	270	मार्च-21
			यू-4	270	सितंबर-22
10	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-21
11	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-21
			यू-2	660	फरवरी-22
12	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800	जुलाई-20
13	तमिलनाडु	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660	दिसंबर-21
			यू-2	660	जून-22
14	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	मार्च-22
			यू-2	800	सितंबर-22
15	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660	अप्रैल-20
16	तेलंगाना	यादादरी टीपीएस	यू-1	800	सितंबर-20
			यू-2	800	सितंबर-20
			यू-3	800	मार्च-21
			यू-4	800	मार्च-21
			यू-5	800	सितंबर-21
17	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	मार्च-21
			यू-2	660	जुलाई-21
18	उत्तर प्रदेश	पंकी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	660	
19	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-21
			यू-2	660	दिसंबर-20
	कुल राज्य क्षेत्र			20186.15	
		निजी क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	
			यू-2	660	
2	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/ मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	यू-3	350	दिसंबर-20
			यू-4	350	मार्च-21
3	बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी)	यू-1	660	
			यू-2	660	
			यू-3	660	
			यू-4	660	
4	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-4	600	अप्रैल-22
			यू-5	600	
			यू-6	600	
5	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300	
			यू-4	300	
6	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	
			यू-4	660	
7	छत्तीसगढ़	सिंग्हीतराई टीपीपी	यू-1	600	
			यू-2	600	
8	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	
9	छत्तीसगढ़	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600	
10	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-1	270	
			यू-2	270	

11	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	
			यू-4	270	
12	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	
			यू-2	600	
13	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600	
14	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	
			यू-2	270	
			यू-3	270	
			यू-4	270	
			यू-5	270	
15	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	
			यू-2	660	
16	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	
			यू-2	270	
			यू-3	270	
			यू-4	270	
			यू-5	270	
17	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300	
			यू-2	300	
18	महाराष्ट्र	शीरपुर टीपीपी	यू-2	150	
19	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	
21	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350	
22	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	
			यू-2	350	
			यू-3	350	
23	ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	
			यू-2	660	
24	ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	
			यू-2	525	
25	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660	
26	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525	दिसंबर-20
27	पश्चिम बंगाल	हिरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया) टीपीपी	यू-3	150	
	कुल निजी क्षेत्र			**23730**	
	कुल जोड़			**64336.15**	

टिप्पणी: चालू करने की प्रत्याशित तारीख निजी विकासकर्ताओं द्वारा सीईए को सूचित नहीं की गई है।

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5371 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की राज्य-वार सूची

राज्य-वार **(30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)**

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावना
	आंध्र प्रदेश	_			
1	पोलावरम (एपजैंको/सिंचाई विभाग, ए.पी.)	राज्य	12x80	960.00	2021-23 (मार्च, 23)
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			**960.00**	
	अरुणाचल प्रदेश				
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2019-20 (दिसं.,,19)
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2023-24 *
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			**2600.00**	
	हिमाचल प्रदेश				
4	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2021-22 (दिसं.,'21)
5	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00	2019-20 जन., 20)
6	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00	2019-20 (मार्च, 20)
7	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2023-25 (अप्रैल, 24)
8	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00	2019-20 (मार्च, 20)@
9	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00	2019-20 (मार्च, 20)@
10	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00	2021-22 *
11	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	100.00	100.00	2021-22 (अक्तूबर, 21)
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश			**1885.00**	
	जम्मू व कश्मीर				
12	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2023-24 (अगस्त, 23)
13	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50	2021-22 (मार्च, 22)
14	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00	2022-23 *
15	# रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	2023-24 *
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर			**1935.50**	
	केरल				
16	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00	2021-22 (दिसं., 21)
17	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00	2020-21 (दिसं., 20)
	उप-जोड़: केरल			**100.00**	
	मध्य प्रदेश	_			
18	## महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00	2021-22 *
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			**400.00**	
	महाराष्ट्र				
19	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00	2022-23 *
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			**80.00**	
	पंजाब				
20	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00	2021-22 (नवंबर, 21)
	उप-जोड़: पंजाब			**206.00**	
	सिक्किम				

21	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	4x125	500.00	2023-24 *
22	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00	2022-23 *
23	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2022-23 *
24	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00	2021-22 *
25	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2020-21 (सितं., 20)
26	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2023-24 *
	उप-जोड़: सिक्किम			**1133.00**	
	तमिलनाडु				
27	कुंडहा पम्प्ड स्टोरेज	राज्य	1x125	125.00	2022-23
	उप-जोड़: तमिलनाडु			**125.00**	
	उत्तराखंड				
28	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2023-24 *
29	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2020-21 (दिसं.,'20)
30	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2021-23 (जून, 22)
31	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2022-23 (दिसं.,'22)
32	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	2x30	60.00	2021-22 (दिसं.,-21)
33	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00	2020-21 (जून, 20)
34	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00	2021-22 *
35	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00	2019-20 (मार्च, 20)@
	उप-जोड़: उत्तराखंड			**2490.00**	
	पश्चिम बंगाल				
36	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2021-22 (फर., 22)
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			**120.00**	
	कुल:			**12034.50**	
*	कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध				

जेएंडके सरकार, पीडीडी ने दिनांक 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना लेने के लिए निर्देश दिए हैं। संयुक्त उद्यम मोड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी (51 प्रतिशत हिस्सा) और जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत हिस्सा) के बीच 03.02.2019 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था।

पीएफसी ने शीर्ष देनदार के रूप में 1 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में 51 प्रतिशत की मुख्य इक्विटी अधिग्रहित की है। मामला न्यायाधीन है।

@ क्रिटिकल

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 25.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5371 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं जिनसे 2021-22 तक लाभ प्राप्त होने की संभावना है

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	राज्य	क्षमता (मेगावाट में)
1	काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट	केंद्रीय	गुजरात	1400
2	राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन	केंद्रीय	राजस्थान	1400
3	भाविनी (पीएफबीआर)	केंद्रीय	तमिलनाडु	500
	कुल (न्यूक्लियर)			**3300**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5425

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण प्रणाली का विकास

5425. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) देश में पारेषण प्रणाली को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका लक्ष्य किस हद तक हासिल हो पाया है;

(घ) क्या सरकार का लोड या मांग में अनुमानित वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न संसाधनों के वितरण का इष्टतम उपयोग करने के लिए मौजूदा ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) इस संबंध में किस हद तक लक्ष्य की प्राप्ति हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 (4) के अनुपालन में देश में विद्युत प्रणाली विकसित करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करता है। राष्ट्रीय विद्युत योजना (खण्ड-II पारेषण) 7 फरवरी, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसुचित की गई है।

(ख) और (ग) : पारेषण लाइनों की योजना और निमार्ण उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की निकासी तथा मौजूदा पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाता है। उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध पारेषण प्रणाली भार केन्द्रों को विद्युत की निकासी के लिए संबंधित उत्पादन परियोजना की पूर्णता अनुसूची के अनुरूप निष्पादित की जाती है। विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध 12089 सीकेएम की पारेषण लाइनें संबंधित उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए विगत 3 वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17, 2018-18 तथा 2018-19) में कार्यान्वित की गई हैं।

(घ) और (ङ) : पारेषण प्रणालियां उत्पादन के स्रोत और वितरण प्रणाली के बीच लिंक स्थापित करती हैं। इसलिए, पारेषण प्रणालियों की योजना उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की निकासी तथा इलैक्ट्रीक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट में यथाप्रक्षेपित भार/मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए बनाई जाती है।

तद्नुसार, 2021-22 के दौरान 2026 जीडब्ल्यू की अनुमानित व्यस्ततम विद्युत मांग (19वें ईपीएस के अनुसार) को पूरा करने के लिए 2017-22 की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली (पारेषण लाइनें और संबद्ध उप केन्द्र) की योजना बनाई गई है। पारेषण परियोजनाएं सामान्यतः टैरिफ आधारित प्रर्तिस्पर्धी बोली के जरिये कार्यान्वित की जाती है तथा टैरिफ मौजूदा सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूला जाता है।

(च) : 2017-18 के दौरान 23086 सीकेएम पारेषण लाइनों और 53978 एमवीए अंतरण क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 23119 सीकेएम पारेषण लाइनें तथा 86193 एमवीए अंतरण क्षमता जोड़ी गई है। इसी प्रकार, 2018-19 में, 22647 सीकेएम पारेषण लाइनों और 62600 एमवीए अंतरण क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 22437 सीकेएम पारेषण लाइनें तथा 72705 एमवीए अंतरण क्षमता जोड़ी गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5459

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य

5459. श्री अशोक महादेवराव नेतेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त बिजली उत्पादन का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार वास्तविक उत्पादन क्षमता और मांग के बीच के अंतर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए परंपरागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 99,209 मेगावाट (लक्ष्य का 112 प्रतिशत) हासिल किया गया है।

(ङ) : वर्ष 2018-19 के दौरान, पूरी नहीं की गई मांग और आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा क्रमश: 0.8 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2019-20 (जून, 2019 तक) के लिए ये आंकड़े क्रमश: 0.6 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत हैं। देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर, देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता की अपेक्षा वितरण नेटवर्क में बाधाओं, वित्तीय कठिनाइयों, वाणिज्यिक कारणों आदि जैसे घटकों के कारण था।

****